न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 08/2019

प्रार्थीगण– ***बनाम*** **अप्रार्थीगण–**

1. भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह
2. मिश्रसिंह पुत्र शंकरसिंह
3. मथरा देवी पत्नी शंकरसिंह

जाति राजपुरोहित निवासी कालुड़ी
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत कालुड़ी
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. शैतानसिंह पुत्र मानसिंह जाति
राजपुरोहित निवासी कालुड़ी
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 01 मिसल सं. 02/2013–14 दिनांक 24.12.2018 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत कालुड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री सोहनलाल दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27.10.2020

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम समदड़ी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को आवासीय पट्टा विलेख सं. 01 दिनांक 24.12.2018 जारी किया गया। [illegible] के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2695.5 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत कालुड़ी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत समदड़ी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत कालुड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित नियम 157(ख) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जिस विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया हैं उस पर विगत 50 वर्षों से प्रार्थीगण व उससे पूर्व उसके पति व पिता शंकरसिंह का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है जिसमें रहवासीय पक्का घर, चारबाड़ा व पानी का टांका बना हुआ हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख किस खसरे की भूमि का जारी किया गया हैं अंकित नहीं किया हैं न ही पंचायत के पुष्टि आदेश का विवरण अंकित किया हैं। प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अप्रार्थीगण ने मिलकर प्रार्थीगण के पुराने कब्जाशुदा परिसर को हड़प करने की नियत से पंचायत को धोखे में रखकर आलौच्य पट्टा जारी करवाया गया हैं। आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थी के पुराने कब्जे के बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज नहीं लिया गया हैं और न ही आवेदित भूखण्ड के स्थल निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं अनियमित प्रक्रिया द्वारा की जाकर आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया है जो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कालुड़ी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा मिसल संख्या 01/20.05.2018 में पट्टा सं. 01/24.12.2018 का निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

4. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से इस प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता को निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(ख) के अन्तर्गत जारी किया गया है, जो पुराने कब्जों के नियमितीकरण के लिये जारी किया जाता हैं जबकि विवादित भूखण्ड प्रार्थीगण के कब्जे एवं आधिपत्य में है तथा अप्रार्थी सं. 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। इसके अलावा यह भी प्रकट किया हैं कि नियम 157(ख) की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन से पाया जाता हैं कि आवेदित भूखण्ड की किस्म भूमि प्रमाण–पत्र में हल्का पटवारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि भूमि आबादी के किस खसरे में स्थित हैं ? इसके अलावा आदेशिका दिनांक 20.05.2018 में अंकित किया गया हैं कि "मौका निरीक्षण अनुसार आवेदक प्रार्थी का रहवासीय पक्का मकान से स्पष्ट होता हैं कि प्रार्थी की पुरानी/पुश्तैनी कब्जाशुदा भूमि है" जबकि मौका निरीक्षण रिपोर्ट में मौके पर निर्माण के बारे में कुछ भी अंकित नहीं किया गया हैं। पंचायत पत्रावली में आवेदक द्वारा एक फोटो स्वंय के द्वारा प्रस्तुत किया हैं जिसे निगरानीकर्तागण ने अपने कब्जाशुदा घर का पिछला दरवाजा होना बताया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा पडौसियान से किसी प्रकार की जानकारी नहीं की है एवं पुराने कब्जे के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में इस पुराने कब्जे के बिन्दु की जांच में पूर्णतया अनियमितता बरती गई हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अपूर्णता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत कालुड़ी द्वारा बैठक दिनांक 20.05.2018 के संकल्प सं. 01 के तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 01 दिनांक 24.12.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत कालुड़ी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि दोनो पक्षों को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित भूखण्ड पर कब्जे व स्वामित्व की पूर्ण जांच कर प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:24 IST
Reason: SelfAttested